रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67/2018–20
चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –40 ● अंक –6 ● कानपुर 16 से 31 मार्च 2018 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

जन–जन तक पहुँच "बढ़ायेंगे मनोबल"– डा0 इदरीसी

- ✓ अन्तिम व्यक्ति तक पहुँचायेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी
- ✓ होगा प्रदेश व्यापी चिकित्सा शिविरों का आयोजन
- ✓ चिकित्सकों का बढ़ाया जायेगा मनोबल
- ✓ वास्तविक कार्य पर ज्यादा फोकस
- ✓ बनी है महत्वाकांक्षी कार्ययोजना

12 फरवरी 2018 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया को दी गयी सूचना से अब यह स्पष्ट हो गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की मान्यता के सन्दर्भ में भारत सरकार का अन्तिम निर्णय भारत सरकार द्वारा ही जारी आदेश 21 जून, 2011 पर आधारित होगा। आपको यह ज्ञात ही होगा कि 21 जून 2011 का आदेश भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया के पक्ष में निर्गत कर पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा,चिकित्सा और अनुसंधान की राह प्रशस्त की थी। इतना ही नहीं समय – समय पर भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इस बात के लिए प्रेरित भी किया गया है कि राज्य सरकारें अपने प्रदेश में 21 जून 2011 के आदेश का क्रियान्वयन करावें। आपको जानकर हर्ष होगा कि जिन – जिन राज्यों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जो कुछ भी आदेश मिले है उसके पीछे जो तर्क संगत आधार है वह है 21 जून 2011 का आदेश, न्यायालयों ने भी जो राहत दी है वहाँ भी 21 जून 2011 के आदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

अब जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता के अन्तिम पड़ाव पर है तब भी भारत सरकार का यह कथन है कि उसका स्टैण्ड अभी भी 21 जून 2011 का आदेश ही है। यह इस बात का स्वतः प्रमाण है कि भारत सरकार पर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया के आदेश का कितना प्रभाव है, आने वाले दिनों में जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा और शिक्षा की नीति बनेगी तब इस बात की अपेक्षा की जा सकती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया के विचार भी लिये जा सकते है हमने पहले ही कह रखा है कि सबका साथ – सबका विकास, इसलिए हम किसी ऐसी ही नीति का समर्थन करेंगे जो सबके लिए उपयोगी हो परन्तु विकास का जो मुख्य बिन्दु है उसपर अभी बहुत कार्य करना है इतना सबकुछ होने के उपरान्त भी हमारा चिकित्सक अपना मनोबल नही बढ़ा पा रहा है मनोबल बढ़े इस हेतु इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया ने एक महत्वपूर्ण योजना बनायी है इस योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश में बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के सहयोग से निशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जायेगा जिसमें जनपद के सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथों को आने का आवाहन होगा। गम्भीर और असाध्य रोगियों के लिए योग्य चिकित्सकों की एक टीम तैयार की गयी है जो शिविर में जाकर रोगियों को देखेगी और स्थानीय चिकित्सकों को इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि वह भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को व्यवहार में लायें व उसका लाभ देखें। शिविर के बाद लोगो को औषधियां मिलती रहे इसके लिए भी प्रयास किये जा रहे है इस दिशा में विभिन्न औषधि निर्माताओं से चर्चा भी की गयी है यह एक बहुत बड़ी योजना है इस योजना को सफल बनाने के लिए जितना दायित्व हमारा है उतना कर्तव्य स्थानीय चिकित्सकों का भी है, इसलिए ऐसे आयोजन की सफलता के लिए लोगों को बढ़चढ़ कर आगे आना चाहिये। जब जन–जन तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी पहुँचेगी तो आपके द्वार भी खुशियां आयेगी। इस कार्यक्रम का आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जो भी नीति बनायी जायेगी उसमें चिकित्सा व्यवसाय की अग्रणी और महत्ती भूमिका होगी। भविष्य में जब कभी शासकीय सेवाओं का अवसर मिलेगा तो उस समय प्रथम फेस में उन चिकित्सकों को वरीयता दी जा सकती है जिन्होने ऐसे आयोजनों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपनी योग्यता भी सिद्ध की होगी ?

जहां देश के अन्य संगठन इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने के नाम पर तरह – तरह के प्रपंच रच रहे है वही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया और बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 ठोस एवं निर्णायक कार्य करते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे है। जो चिकित्सक या जो संस्थायें अपने जनपद में ऐसे चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना चाहते हो वह बोर्ड से सम्पर्क कर सकते है। बोर्ड की प्रतिबद्धता इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को स्थापित करने की है और यही हमारी प्राथमिकता है। अस्तु भविष्य को उज्जवल और मंगलमयी बनाने के लिए इस पुनीत कार्य में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें और जमाने को बता दें कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी किसी से मुकाबला करने में पीछे नहीं है। हमारे चिकित्सक भी उतने ही योग्य है जितने अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक है। हम जब शिविर लेकर आपके जनपद में आये तो ऐसा वातावरण बना दें जैसे कोई उत्सव हो रहा है। आपका सहयोग हमारा संकल्प पूरा करने में मददगार होगा। नियमिती – करण या मान्यता जो कुछ भी सरकार देगी उसके बाद भी कार्य ही प्रमुख रहेगा। क्योंकि नये चिकित्सकों के आने की खेप में कुछ वर्षो का समय लगेगा इन बीच के वर्षों में जो हमारे पहले से स्थापित चिकित्सक है उनकी ही कार्यकुशलता पर सबकुछ निर्भर करेगा क्योंकि मान्यता मिलना ही अन्तिम लक्ष्य नहीं है अन्तिम लक्ष्य है इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इतनी प्रतिस्पर्धी बना देना है कि यह चिकित्सा पद्धति केवल विकल्प बन कर न रह जाये अपितु चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन भी करे और यह सारे कार्य तभी सम्भव हो पायेंगे जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा का चिकित्सक बढ़े हुए मनोबल के साथ चिकित्सा व्यवसाय करें। प्रायः यह देखने में आता है कि जब भी किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति का चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक के सामने होता है तो हमारा चिकित्सक पता नहीं क्यों स्वतः ही हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। इसलिए हमारा पहला लक्ष्य है कि चिकित्सक को उत्साही बनाना, उसके मनोबल को बढ़ाना, जब चिकित्सक अपनी चिकित्सा से अच्छे परिणाम प्राप्त करता है तो उसका मनोबल स्वतः बढ़ने लगता है।

चिकित्सा शिविरों का आयोजन उसी दिशा में पहला कदम है।

12 फरवरी 2018 को भारत सरकार द्वारा दी गयी सूचना
से प्राप्त ऊर्जा को
इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों तक पहुँचाने के उद्देश्य
एवं
इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता को
जन जन तक पहुँचाने के लिए
प्रदेश व्यापी
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन
शीघ्र होने जा रहा है
जो भी संस्था , संगठन या चिकित्सक
इस तरह के शिविर को
अपने जनपद में भी आयोजित करना चाहते हों
अविलम्ब बोर्ड कार्यालय से सम्पर्क करें
निवेदक

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया
आयोजक

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

यह कैसा उतावलापन !

गम्भीरता से कही गयी कोई भी बात बहुत दिनों तक मानव मन को प्रभावित करती है और वहीं बात कितनी भी गम्भीर क्यों न हो यदि वह बहुत छिछली तौर पर प्रस्तुत की जायेगी तो निश्चित मानिये कि गम्भीर से गम्भीर बात की कोई अहमियत नहीं रहती है। इस लिए जब विषय जनहित से जुड़ा हो तो गम्भीरता को उतावलेपन से दूर ही रखना अच्छा होता है।

जब से 20 फरवरी बीती है और लोगो के सामने यह सत्य आ गया कि 9 जनवरी 2018 को भारत सरकार द्वारा प्रपोजल भेजने वालों का साक्षात्कार लेकर उसपर निर्णय लिया जा चुका है जो लोग यह दुष्प्रचार कर रहे थे कि अभी हम लोगो को 20 फरवरी को एक अवसर और दिया गया है। जिसके माध्यम से हमें जो जानकारियां शेष बची है वह जानकारियां 20 फरवरी को पुनः देने का अवसर भारत सरकार द्वारा दिया गया है।

गजट के माध्यम से जब यह बात स्पष्ट की गयी कि भारत सरकार ने इस प्रकार की किसी भी तिथि की घोषणा नहीं की है और जैसे ही 20 फरवरी की तिथि बीती और दावा करने वालों के दावे फिस्स हो गये तब अपनी खीझ मिटाने के लिए हमारे इन साथियों के द्वारा तरह–तरह के हथकण्डे अपनाये जाने लगे, कल तक जो बहुत विश्वास के साथ यह दावा करते घूम रहे थे कि मान्यता उन्हीं को मिलनी है जैसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया ने 12 फरवरी 2018 का वह पत्र सार्वजनिक किया जो इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का कार्य देख रहे भारत सरकार के अवर सचिव श्री ओम प्रकाश जी के द्वारा प्रेषित किया गया था। इस पत्र के माध्यम से श्री ओमप्रकाश जी ने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया को यह सूचित किया कि भारत सरकार द्वारा गठित इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा पूरे भारत से विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रेषित किये गये प्रपोजलों पर निर्णय ले लिया गया है और अन्तिम निर्णय होना शेष है। इस खबर के फैलते ही लोगों में बेचैनी बढ़ गयी और तरह–तरह की प्रतिक्रियायें आने लगी। जिस व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर था वह उसी स्तर से प्रतिक्रिया करने लगा। कुछ प्रतिक्रियायें तो इतनी स्तरहीन थी कि उनपर चर्चा करना ही व्यर्थ है। इसे हम लोगो की कुंठा कहे या फिर उतावलापन। इस उतावलेपन का दृश्य पिछले कुछ दिनों से दिखाई पड़ने लगा ।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के विषय को इतना जटिल बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि किसी भी तरह से उचित कार्य नहीं ठहराया जा सकता है। लोगो को अभी भी यह बात स्वीकार नहीं हो पा रही है, जैसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का मार्ग प्रशस्त होगा या फिर नियमितीकरण का कार्य आगे बढ़ेगा तो जो भी सरकारी नीति या नियम बनेगे जो उनका पालन करेगा वही उसका आनन्द लेगा। निजी स्तर पर तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है परन्तु जब कोई विषय भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा निर्णित किया जायेगा तो उसमें किसी के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होता है। जिन नियमों का निमार्ण सरकार द्वारा किया जायेगा उन नियमों को पालन करने का अवसर हर उस व्यक्ति को होगा जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ा है और जो व्यक्ति/संस्था/समूह इन नियमों के पालन करने में समर्थ होगा वह पूर्ण लाभ पाने का अधिकारी होगा। जब स्थिति एक दम स्पष्ट है तो व्यर्थ की व्यवस्थाओं को जन्म क्यों दिया जा रहा है। जो लोग इस तरह के कार्यों में लिप्त है, हो सकता है उनके मन मस्तिष्क में इस तरह के विचार कौंध रहे होंगे कि इन कार्यो से उनका इलेक्ट्रो होम्योपैथी समाज पर प्रभाव बना रहेगा तो इस तरह का व्यर्थ का चिन्तन कभी भी फलदायी नहीं होता है।

परिस्थितियां जिस तेजी के साथ बदल रही है वह यही संकेत दे रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के सम्बन्ध में कोई न कोई सकारात्मक निर्णय ले ही लेगी। यह निर्णय क्या होंगे ?इस पर सिर्फ अभी कयास ही लगाये जा सकते है और बहुत सम्भव है कि सरकार सारी गतिविधियों पर ध्यान देने के बाद कोई ऐसी संस्था या संगठन को अधिकृत कर दे जो एक रेगुलेटरी के रूप में कार्य करे यह अवसर किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्था को भी प्राप्त हो सकता या फिर भारत सरकार किसी ऐसी बाडी का गठन कर देगी जो रेगुलेटर की तरह कार्य करेगी। यह रेगुलेटर एक स्वतन्त्र नियामक की भूमिका का भी निर्वाहन कर सकती है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास के लिए जो उचित कार्य होंगे उन कार्यो के लिए नीति भी बना सकती है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए कुछ नियम और कानून बनते है और इन नियमों का पालन कैसे कराया जाये इस हेतु नीतियां भी बनती है। देश में बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक है जो विभिन्न राज्यों के विभिन्न संस्थाओं द्वारा अर्हता प्राप्त है। हर राज्य की अपनी अलग–अलग व्यवस्थायें होती है हर चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का लाभ उठावें इसलिए नीतियों को बनने में कुछ समय तो अवश्य लगेगा पहले संस्थाओं की अधिकारिता का मूल्यांकन होगा तद्परान्त ही यह सम्भव हो पायेगा कि कौन सा चिकित्सक पात्र है और कौन अपात्र है। प्रारम्भिक स्तर पर तो यही होना चाहिये कि जो भी चिकित्सक जिस भी स्तर का अर्हताधारी हो उसे उसके स्तर के अनुसार चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार तो अवश्य मिलना चाहिये।

क्या यहाँ भी टी0आर0पी0 बढ़ाने का खेल जारी है

आज का युग संचार का युग है और हमारा संचार माध्यम इतना तेज है कि एक बात को फैलने में जरा भी समय नहीं लगता है बिना समय लगे एक कोने से दूसरे कोने तक संदेश लोगों तक पहुँच जाता है जो व्यक्ति उस समाचार से जुड़ा होता है वह उसका विश्लेषण करता है और उस पर हानि और लाभ का मूल्यांकन करता है। जो लोग इस समाचार को फैलाने में जुड़े होते है उनकी भी अपनी एक गणित होती है वह यह सोचा करते है कि इस समाचार का इस कदर प्रचार किया जाये जिसका कि लाभ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मिल सके वैसे इस तरह की घटनायें प्रायः समाचार चैनलों द्वारा की जाती है। जो अपनी टी.आर. पी. बढ़ाने के उद्देश्य से समाचार को इस तरह से परोसते है जिससे कि लोगो के मन मस्तिष्क तक वह कई दिनों तक प्रभावी रहे इसका लाभ समाचार चैनेल तो उठा सकते है परन्तु ऐसी घटनायें जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी में घटती है तो कुछ अजीब सा लगता है। वहां तो चैनेलों का व्यक्तिगत हित जुड़ा होता है परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी तो सबसे जुड़ी हुई है इसलिए उसके लाभ तो हर इलेक्ट्रो होम्योपैथ को तभी मिलेंगे जब वह सरकार द्वारा निर्मित नियमों कानूनों का पालन करेगा। सस्ती लोक प्रियता के चक्कर में इस समय जो कुछ भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में किया जा रहा है वह कही से भी लाभकारी या मंगलमयी नहीं हो सकता। किसी भी एक घटना को इतना तूल देकर प्रस्तुत करना कौन सा लाभ प्रदान करेगी यह तो तूल देने वाले ही जाने परन्तु सत्य तो यह है कि अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पास वह अवसर नहीं है जो इस तरह की बातो को तूल दें। जब इस तरह की घटनायें हमारे सामने आती है तो मन बरबस यह सोचने को विवश हो जाता है कि हमारे साथी धीरे–धीरे किस मनोदशा की ओर बढ़ रहे है। सनसनी खेज समाचार रोचकता और रोमांच तो पैदा कर सकते है परन्तु कोई दिशा देंगे वह सम्भव नहीं दिखायी पड़ता। इन सनसनी खेज समाचार को सुनने वाला जिस ढंग से प्रस्तुत करता है उससे ऐसा लगाता है कि घटना के एक एक अंग से वह परिचित है। कोई विधान सभा की तस्वीर दिखाता है तो कोई उसको उत्तर प्रदेश विधान सभा से जोड़ता है जिन्हें विधान सभा की कार्यवाही का ज्ञान तक नहीं है वह लोग मिनट दू मिनट विधान सभा की कार्यवाही बता रहे है जिन्हें कुछ नहीं मिलता वह एक दूसरे को बताते है कि उस न्यूज चैनेल पर अभी अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की खबर आयी थी और खबर भी इतनी सटीक ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि यह तो उन्होंने खबर एडीटिंग की होगी या फिर वह इस खबर से सीधे जुड़े होंगे।

यह जो कुछ भी घट रहा है उसके परिणाम आगे क्या होंगे इसका उन्हें जरा भी अनुमान नहीं है तभी तो इस तरह की बाते फैलायी जा रही है राजस्थान के सम्बन्ध में जो भी समाचार प्रसारित किये जा रहे है उनकी सत्यता और असत्यता पर कोई भी टिप्पणी फिलहाल न तो उपयोगी है और न ही उचित । राजस्थान सरकार द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है और उस पर जो परस्पर बधाईयों का क्रम चल रहा है उनको बधाई, हम तो उत्तर प्रदेश के निवासी है जो उत्तर प्रदेश में होगा उस सुख दुख में हम सबकी सहभागिता होगी, परन्तु जो विचारक है वह यह बात जरूर सोचते है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इतने सारे योग्य और काबिल आदमी कैसे एक साथ जुड़ गये। किसी भी समाचार को किस ढंग से फैलाया जाये इसकी ट्रेनिंग समाचार चैनेलो को इलेक्ट्रो होम्योपैथों से लेनी चाहिये। आज का समाज काफी जागरूक हो गया है वह यह जानता है कि क्या सच है और क्या भ्रामक फिर भी रसासवादन के लिए इस तरह के समाचारों से जुड़ जाता है और आनन्द लेता है समाचार चैनेल तो सनसनी खेज समाचार परोस कर अपना हित साधते है वैसे पिछले एक दो वर्षो में समाचारों के प्रस्तुतीकरण का स्तर जितना गिरा है वह चिन्तनीय विषय है हमारे समाचार चैनेलों ने जिस तरह से ढोंगी बाबाओं के बारे में महीनों तक समाचार प्रसारित किये जिनका लाभ समाचार चैनेलों को जरूर मिला परन्तु समाज को क्या मिला?हनीप्रीति के कृत्य या सिने तारिक श्रीदेवी की मृत्यु के समाचारों को जिस ढंग से परोसा गया उससे तो ऐसा लगता है कि शायद कैमरामैन हर समय कैमरा लिए तैयार ही रहता है कि एक एक घटना का फिल्माकंन कर सके। राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जिस विधेयक की चर्चा पूरे देश में घूम मचायें है यह क्या रंग दिखायेगी सबकुछ कुछ दिनों में स्पष्ट हो जायेगा। वैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथ बिल और विधेयकों की चर्चा से काफी मजबूत हो चुके है प्रायः केन्द्र सरकार में कोई न कोई बिल आने की चर्चा होती रहती है। मजा तो तब आता है कि जब बिना चर्चा के ही बिल पास भी हो जाते है और किसी संस्था विशेष के संचालक को आनन फानन में सारे अधिकार भी मिल जाते है। यह तो हमारे साथी बहुत सीधे है या फिर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले तभी तो वह अपने तरकश से ऐसे तीर निकालते है जो एक बार तो प्रभावित कर ही देते है। ऐसे खेल जब तक जारी रहेंगे तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई भला नहीं होने वाला। अपितु एक समय वह भी आ जायेगा जब कोई किसी पर विश्वास ही नहीं करेगा। बचपन की एक कहानी हमें कभी नहीं भूलनी चाहिये हम पुनः आपको स्मरण करवा दें एक चरवाह जंगल में जानवर चराने जाता था उसे शरारत सूझती थी और चिल्लाने लगता था बाघ आया – बाघ आया उसकी चीख को सुनकर गांव व आस पास के लोग उसकी मदद के लिए आते परन्तु वहां उन्हें कोई शेर या बाघ नहीं मिलता। उस चरवाहे का यह क्रम अब प्रायः होने लगा गांव वाले आते और लौट जाते, एक दिन वास्तव में बाघ आ गया और वह चरवाह चिल्लाता रहा परन्तु उसकी मदद को कोई नहीं आया, इस कहानी को लिखने का आशय यह है कि किसी की भावनाओं से आप कब तक खलेंगे जब वास्तविकता सामने आती है तो ठगने वाला व्यक्ति स्वयं को ठगा महसूस करता है और जो इस कार्य में लिप्त होता है या तो उसे खिसयाहट होती है या फिर कोई आवरण ओढ़ लेता है। पिछले दो तीन वर्षो में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जिस तरह की बाते उछाली गयी उससे लोगो का भरोसा टूटा है जो लोग इस तरह की घटनाओं को जन्म देने में लिप्त है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है परन्तु जो लोग ईमानदारी के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कार्य कर रहे है वह जरूर आहत होते है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का विषय इतना आसान नहीं है जितना कि प्रस्तुत किया जाता है यह तो सब लोगो के मेहनत का फल है जो भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए कदम उठाया और इसी के तहत एक इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का गठन किया अब परिणाम आने शेष है परिणाम जो भी हो वह हम सबको स्वीकारने होंगे कोई आगे और कोई पीछे यह तो प्रकृति का नियम है सब आगे नहीं होते है संख्या एक के बाद बढ़ती है पहले स्थान पर कोई एक ही रहता है इसलिए पहले का मोह त्याग कर हम सबको सिर्फ कार्य करना चाहिये एवं सही समाचारों को ही प्रसारित करना चाहिये।

केन्द्र से राज्य की तरफ़ मोड़ने का प्रयास

अभी तक पूरे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ केन्द्र सरकार की तरफ आशा भरी दृष्टि से देख रहा था कि वर्षो से चली आ रही इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्या का निराकरण हो जायेगा। पिछले कुछ वर्षो से राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संगठनों के द्वारा इस विषय पर आन्दोलन भी चलाये जा रहे थे। 21 जून, 2011 को केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए अति स्पष्ट आदेश देने के बाद पूरे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस बात की प्रतीक्षा करने लगा था कि जब भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शिक्षा देने चिकित्सा कार्य करने व इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा में शोध कार्य करने में अपनी सहमति जता रही है तो फिर केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता भी दे सकती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का आन्दोलन का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 28 फरवरी 2017 तक अनवरत गति से जारी रहा इस अवधि में धरना,प्रदर्शन, सम्मेलन व ज्ञापनों के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया। कई बार केन्द्रीय मंत्रियों के समक्ष अपनी बात रखी गयी और केन्द्र सरकार ने भी समय समय पर इस बात को स्वीकारा कि मान्यता मिलने तक 21 जून 2011 का आदेश प्रभावी रहेगा। यह इस बात का संकेत था कि भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देना ही चाहती है।

पांच वर्ष के लम्बे संघर्ष के बाद और केन्द्र सरकार द्वारा पृथक आयुष मन्त्रालय बनाकर यह स्पष्ट संकेत दे दिये गये थे कि वर्तमान राजग सरकार वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहती है। इसी क्रम में उन पद्धतियों का भी कल्याण करना चाहती है जो वर्षो से मान्यता के लिए संघर्षरत है इन्हीं सब व्यवस्थाओं के चलते अन्ततः भारत सरकार ने 28 फरवरी 2017 को एक इन्टरडिपार्ट–मेन्टल कमेटी के गठित होने की जानकारी दी। इस कमेटी के माध्यम से पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों से आवाहन किया गया था कि वह अपने अपने स्तर से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा वांछित जानकारियां भारत सरकार को प्रस्तुत करें और इसके लिए बकायदा 10 महीने का समय निर्धारित किया गया। 31 दिसम्बर 2017 की जैसे ही अवधि समाप्त हुई, भारत सरकार ने बिना समय नष्ट किये 9 जनवरी 2018 को एक साक्षात्कार का आयोजन किया जिसमें उन लोगो को अवसर दिया गया जिनके द्वारा प्रपोजल भारत सरकार को भेजे गये थे। यह अलग बात है कि गुण और दोष के आधार पर पूरे भारत से भेजे गये प्रपोजलों में से मात्र 21 + 6 लोगो को अवसर मिला। लोग गये अपनी अपनी बात रखी।

12 फरवरी 2018 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया को भारत सरकार के अवर सचिव श्री ओम प्रकाश जी ने पत्र लिखकर यह सूचित किया कि 9 जनवरी 2018 को सभी लोगो का पक्ष जानने के बाद इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा विषय का निस्तारण कर दिया गया है मात्र अन्तिम निर्णय आना शेष है। अभी एक महीना भी नहीं बीता कल तक जो लोग केन्द्र सरकार के गाने गा रहे थे उनके स्वर अचानक क्यों बदल गये ?कल तक जो लोग राग गन्धर्व पर नाच रहे थे आज वही राग मालकोश की माला बनाये घूम रहे है। कुछ ही दिनों में इतना बड़ा परिवर्तन, इसके दो ही कारण हो सकते है या तो ऐसे लोग जो अपने आप को खेल से बाहर मानने लगे वह इस तरह के खेल खेलते है।

जो भारतीय टीम में जगह नहीं बना पा रहे है वह आज रणजी खेल कर भारतीय टीम में जाने का प्रयास कर रहे है। यहां पर मामला केन्द्र और

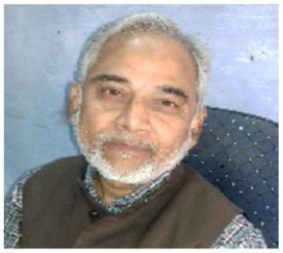

राज्य के टकराव का नहीं हैं अपितु किसी आगे बढ़ते हुए काम में रोड़ा अटकाने का असफल प्रयास किया जा रहा है। यह बात सत्य है कि राज्य सरकारों के अपने अधिकार होते है राज्य सरकारें अपने राज्य की जनता के हित में कुछ भी कर सकती है परन्तु केन्द्र सरकार के विरूद्ध नहीं जा सकती। सभी चिकित्सक वर्ग यह जानता है कि एलोपैथी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करने का अधिकार मात्र एम.बी.बी.एस.को प्राप्त है परन्तु कुछ राज्य सरकारें वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को कुछ प्रतिबन्धों के साथ कुछ ऐलोपैथिक औषधियों के प्रयोग की अनुमति दे सकती है। इसी तरह से कोई भी राज्य सरकार किसी भी चिकित्सा पद्धति को अपने राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करने हेतु अनुमति प्रदान कर सकती है और चाहे तो प्रतिबन्ध भी लगा सकती है।

हर राज्य सरकार की अपनी सीमायें होती है उनके आदेश अपनी राज्य की सीमा तक प्रभावित होते है केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आदेश पूरे देश में प्रभावी होते है और यह आदेश विश्व के अन्य देशों में भी प्रभावी बनने का माद्दा रखते है। जैसे सिद्धा के चिकित्सक सिर्फ तमिलनाडू में ही पढ़ते है और सीखते है। परन्तु सिद्धा को केन्द्रीय मान्यता होने के नाते इस विधा के चिकित्सक पूरे देश में अधिकार से चिकित्सा व्यवसाय कर सकते हैं इसी तरह जिस गति से केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कार्य कर रही है उससे तो यही दिखायी पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार निश्चित रूप से कोई न कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। यदि केन्द्र सरकार इलेक्ट्रो होम्यो पैथी के लिए कोई छोटा सा भी आदेश जारी कर देती है तो उसका लाभ पूरे देश के राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश उठायेंगे।

राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए किये गये कार्यो का जिस प्रकार प्रचार किया जा रहा है उसका लाभ सिर्फ राजस्थान के ही इलेक्ट्रो होम्योपैथ उठा पायेंगे कुछ और हो या न हो परन्तु जैसे ही केन्द्र सरकार को यह बात ज्ञात होगी केन्द्र सरकार के कार्य में बांधा पड़ सकती है या फिर केन्द्र सरकार के कार्य की अवधि बढ़ सकती है हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के समर्थक है और सब की यही कामना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कल्याण हो परन्तु व्यक्तिगत हितों की चाहत में सामुहिक हितो को दाव में नहीं लगा सकते।

जिस तरह का वातावरण आज निर्मित हो रहा है वातावरण काम करने का अवसर तो दे रहा है परन्तु जिस तरह से कार्य हो रहे है वे कोई राह नहीं बना पा रहे है। पिछले कुछ दिनो से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में जो कार्यक्रम जारी है वह बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे है राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारों में कभी भी साम्यता नही हो सकती है हमारे पाठको को याद होगा कि हम प्राय यह लिखते रहे है कि चिकित्सा शिक्षा राज्य का विषय है परन्तु नियन्त्रण केन्द्र सरकार का होता है यह संयोग ही कहा जायेगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए अभी तक दो ऐसे आदेश हुए है जिसे राज्य सरकारों को अनुपालित करना था पहला आदेश 18 नवम्बर 1998 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की समस्या के समाधान के लिए किया था जिसमें उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया था कि प्रत्येक राज्य 18 नवम्बर 1998 के आदेश का अपने अपने राज्यों में क्रियान्वयन करें दूसरा आदेश भारत सरकार ने 21 जून 2011 को किया था इस आदेश का अनुपालन भी सारे राज्य सरकारों सहित केन्द्र शासित प्रदेशों को करना था परन्तु दोनो ही आदेशों को किसी भी राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया इसलिए हम प्रारम्भ से यह बात कहते चले आ रहे है कि राज्य सरकारों को अपने अपने राज्य में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितीकरण का कार्य करना चाहिये यदि राज्य सरकारें इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नियमितीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दें तो केन्द्र सरकार पर इस बात का दबाव पड़ेगा कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले परन्तु टुकड़ो टुकड़ो में किये गये कार्य कभी भी दूरगामी परिणाम देने वाले नहीं होते है।

अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन जिस स्थिति पर है कदाचित वह पूर्णतः की तलाश में है और हमें पूरी अपेक्षा है कि कि केन्द्र सरकार शीघ्र ही इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेनी वाली है।

"काम पर ध्यान हो" अफ़वाहों पर नहीं!

इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में काम की तुलना में अफवाहों पर ज्यादा कार्य होता है और यही वह कारण है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पूर्ण रूप से विकसित नहीं होने दे रही है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होता है कि कार्य अबाध रूप से हो और जो लोग कार्य कर रहे है वह पूरी क्षमता के साथ करें हम इधर सात आठ वर्षो की घटनाओं पर नजर डाले तो यह दिखायी देने लगता है कुछ कुछ अवधि के बाद ऐसी ऐसी बाते उठायी जाती है जो सत्यता से बिल्कुल परे होती है ज्यादा लम्बी दूरी नहीं यदि हम सिर्फ पिछले दो वर्षो की ही बात करे तो इतनी सारी निरर्थक बाते हमारे सामने आयी है जिनका कोई लाभकारी परिणाम नहीं होता। जैसे भारत सरकार ने जब इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का गठन किया तो यह प्रचारित किया गया कि यह उन्हीं के प्रयासों से कमेटी का गठन हुआ है फिर प्रपोजल देने की बात आयी तो बार बार विभिन्न संगठनों द्वारा यह बात उठायी गयी कि उनका प्रपोजल स्वीकार कर लिया गया और उनका प्रपोजल कूड़ेखाने में भेज दिया गया।इस तरह की बाते समाज में कभी भी एकता को जन्म नहीं लेने देती है एकता के स्थान पर वैमन्यसता जन्म ले लेती है जो कि कटुता पैदा करती है और यही सब बाते अफवाह का रूप ले लेती है तो इसके जो भी परिणाम होते है वह कभी भी उपयोगी नहीं होते है प्रायः यह देखने को मिलता है कि अफवाहें व्यक्तिगत हितो के लिए ही उड़ायी जाती है।

अफवाहों को उड़ाने वालो का भी लक्ष्य होता है उनका एक ही उद्देश्य है कि उनका भला हो और दूसरो का नुकसान हो, जिन लोगो की विचार धारा ऐसी होती है वह न तो अपना हित कर पाते है और न ही चिकित्सा पद्धति का खास तौर पर हिन्दी भाषी क्षेत्रों में इस तरह के कार्यक्रम बड़ी तेजी के साथ चलाये जाते है इसका एक कारण यह भी है कि आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन को जो हवा दे रहे है उनकी जड़े उत्तर भारत से मजबूती से जुड़ी है या दूसरे शब्दों में कहा जाये एक समय वह था जब पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का दबदबा बना रहता था और उत्तर प्रदेश से ही प्रेरणा लेकर सारे भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कार्य संचालित होता था। समय का कुछ चक्र ऐसा घूमा कि जो लोग आन्दोलन के प्रमुख हुआ करते थे वह अब भूत हो चुके है नये लोगो के हाथ में कमान है परन्तु जो गम्भीरता होनी चाहिये उसके दर्शन नहीं हो पा रहे है।

प्रेम और स्नेह लुप्त हो रहा है उसका स्थान घृणा और विद्वेष ले रहे है। जो भी हो स्थिति एक जैसी नहीं रहती जो स्थिति आज है वह कल नहीं रहेगी काल का चक्र अपनी गति से घूमता ही रहता है परन्तु कार्य हर समय प्रमुख होता है कार्य की प्रमुखता को हर समय स्थान मिलता है। यह जीवन का सत्य है कि परिस्थितियां कुछ भी हो पर कार्य करना ही पड़ेगा जिस प्रकार मनुष्य अन्तिम क्षणों तक कार्य करने की इच्छा रखता है इसी तरह से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हर चिकित्सक का यह दायित्व है कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी को पूर्णतः नहीं मिल जाती है तब तक पूरे मनोयोग से अधिकारपूर्वक कार्य किया जाये अधिकारपूर्वक किया गया कार्य उपयोगी और लाभकारी होता है।

अस्तु हमारे जो साथी है वह अब मान्यता के अन्तिम पड़ाव पर दिशा भ्रमित न हो क्योंकि केन्द्र सरकार बार बार यह स्वीकार कर चुकी है कि 21 जून 2011 का स्टैण्ड अभी भी जीवित है और भारत सरकार उसी दिशा में काम भी कर रही है। ऐसे तत्व जो केवल अपना हित चाहते है वह लोग ही समय समय पर अनर्गल बाते प्रचारित करते रहते है। किसी राज्य में क्या हो रहा है यह जानने में कोई बुराई नहीं है बुराई तो तब है जब अधूरी जानकारी के आधार पर राय बना ली जाती है। पूरानी कहावत है कि अधकचरा ज्ञान कभी भी लाभकारी नहीं होता है। हम सब उत्तर प्रदेश के निवासी है इसलिए जब कभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारे लिए मंगलकारी कार्य किया जायेगा उसका आनन्द हम सब मिल कर उठायेंगे। उत्तर प्रदेश के वासियों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का सुख न मिले ऐसा हो नही सकता।

बोर्ड ने नवीनीकरण व पंजीकरण की नई नीति घोषित की

भारत सरकार के द्वारा निरन्तर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए की जा रही सकारात्मक गतिविधियां इस बात का स्पष्ट प्रमाण दे रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया को कुछ न कुछ दायित्व सौपने वाली है आपको ज्ञात होगा कि 21 जून 2011 को भारत सरकार ने एक आदेश जारी कर इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया को एक स्वतन्त्र नीति नियामक संस्था के रूप में स्वीकारा था, एक आर. टी. आई. का उत्तर देते हुए भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि 21 जून 2011 का आदेश ही रेगुलट्री आदेश है। उसके बाद जब इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी का गठन हुआ और लोगो ने प्रपोजल भेजे जैसाकि आप सबको विदित है कि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 पहले से ही शासकीय अधिकार प्राप्त संस्था है।

अस्तु बोर्ड द्वारा भारत सरकार को प्रपोजल भेजने का कोई औचित्य नहीं बनता था इधर भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन आफ इण्डिया को पत्र लिखकर यह सूचित कर रही है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार का स्टैण्ड अभी भी 21 जून 2011 है । 12 फरवरी 2018 को लिखे गये पत्र के माध्यम से भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी द्वारा 9 जनवरी 2018 को साक्षात्कार के बाद सभी का पक्ष सुनने के उपरान्त प्रपोजलों का निस्तारण कर दिया है। मात्र अन्तिम निर्णय आना शेष है। अन्तिम निर्णय आने में विलम्ब इस लिए हो रहा है क्योंकि यह एक नीतिगत मामला है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अनेक संस्थायें है जिनमें से लाखों की संख्या में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक निकले है,भारत सरकार चाहती है कि किसी का नुकसान न हो इसलिए ऐसी स्थिति में किसी भी नीति के बनाने में समय लग ही जाता है। चूंकि बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासकीय आदेश प्राप्त है इस बोर्ड को चिकित्सा शिक्षा व पंजीयन का अधिकार प्राप्त है आने वाले दिनों में जब लाखो चिकित्सकों की भीड़ में योग्य चिकित्सको को तलाशा जायेगा तो बोर्ड चाहता है कि उसका लाभ बोर्ड के पंजीकृत चिकित्सकों को मिले, इधर प्रदेश सरकार ने भी पंजीयन के सम्बन्ध में कुछ सख्ती दिखायी है। प्रदेश सरकार की योजना है कि प्रदेश में अप्रशिक्षित, अपंजीकृत व अवैध चिकित्सक कार्य न करें इसलिए प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी गयी है चूंकि इन दिनों कुछ चिकित्सा व्यवसायी भी धन के लालच में गलत कार्य करने लगे है इससे उन पर अपराधिक वाद भी दाखित हो रहे है सरकार चाहती है कि अपराधी प्रवृति वाले चिकित्सक इस व्यवसाय में न रहे इन सब बातो को ध्यान देते हुए बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 की पंजीयन समिति ने जो रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की उस पर गम्भीरता से विचार करते हुए बोर्ड ने तत्काल पंजीयन व नवीनीकरण की नई नीति घोषित की है।

बोर्ड के रजिस्ट्रार के अनुसार यह नीति 27 फरवरी 2018 प्रभावी हो चुकी है। इस हेतु बोर्ड ने अपनी बेबसाइट पर प्रोफार्मा भी डाल दिया है जिन चिकित्सकों को नवीनीकरण करवाना हो वह नेट से यह फार्म डाउनलोड कर सकते है। सभी विद्यालयों व स्टडी सेन्टरों को नवीनीकरण के नये फार्म शीर्घ ही प्रेषित किये जा रहे हैं जो पंजीकृत चिकित्सक है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह फार्म में दिये गये निर्देशों का ठीक से अध्ययन करे और फिर उसका उत्तर दें। एक जरा सी चूक आपको परेशानी में डाल सकती है।

आपको यह भी बताना उचित होगा कि बोर्ड द्वारा एक औचक्क निरीक्षण टीम का गठन भी किया जा रहा है जो पूरे प्रदेश में ऐसे चिकित्सकों की जांच करेगा जो बिना पंजीयन के या अवैध पंजीयन के रूप में चिकित्सा व्यवसाय में लिप्त है ऐसे चिकित्सकों की जांच करके उन्हें चिन्हित किया जायेगा । एक माह की नोटिस देने की बाद यदि उन चिकित्सकों ने अपनी स्थिति में सुधार नहीं किया तो उनके विरूद्वविधिक कार्यवाही की जायेगी। अतः सभी चिकित्सक समय सीमा के अन्दर अपनी व्यवस्थाओं को ठीक कर लें ताकि कोई परेशानी न हो।

करने की अपेक्षा – पाने की इच्छा ज़्यादा

मानव जीवन जब तक रहता है तब तक कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखता है। पाने की इच्छा रखना अच्छी बात है परन्तु पाने के लिए कुछ कार्य भी करने पड़ते है कार्य करते हुए जो प्राप्ति होती है वह देर तक सुख प्रदान करती है और अनायास उपलब्धि कभी कभी ही होती है इस लिए पाने की तुलना में कार्य से ज्यादा सम्पर्क रखे तो ही मानव जीवन की सार्थकता होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम सब सामान्य मानव जुड़े है इसलिए हमारी प्रवृत्तियां भी सामान्य मानव जैसी ही होगी परन्तु एक बात जो पूरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत में प्रायः देखी जाती है वह यह है कि इस विधा से जुड़े लोग बिना कर्म के ही बहुत कुछ पा लेना चाहते है और यही कारण है कि हम अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में उतने विकसित नहीं हो पा रहे है जितना विकास हो जाना चाहिये था। जब से राजस्थान सरकार का प्रकरण सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आया एक दो प्रदेश नहीं बल्कि पूरा देश इसी जानकारी में लगा है कि वास्तविकता क्या है जब इस प्रकार की घटनायें सामने आती है तो मन यह बरबस यह विचार करने लगता है कि क्या इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इतनी अविश्वसनीयता बढ़ गयी है कि लोग एक दूसरे की बात आसानी से मानने को तैयार ही नहीं रहते है यह एक विचारणीय विषय है यदि राजस्थान में प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कुछ साकारात्मक कदम उठा भी लिये जाते है तो कौन सी बड़ी बात हो गयी वर्षो से चले आ रहे आन्दोलन का कुछ न कुछ परिणाम निकलता ही है परिणाम अच्छे हो तो सुखद अनुभूति होती है यदि परिणाम अपेक्षाओं के विपरीत आते है तो मानसिक कष्ट होता है। जिस तरह से पूरे देश का इलेक्ट्रो होम्योपैथ इस समय राष्ट्रीय स्तर की बात को छोड़कर एक राज्य पर उतर आया है वह हमारी मानसिकता को दर्शा रहा है कल तक पूरा देश भारत सरकार द्वारा गठित इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी के रिपोर्ट के आने की प्रतीक्षा कर रहा था वही देश एक ही झटके में इन्टरडिपार्टमेन्टल कमेटी को भूलकर राजस्थान की बात करने लगा है यह हम सब जानते है कि एक राज्य में जो कुछ भी है घटित होगा उसका लाभ उसी राज्य के लोग उठायेंगे प्रसन्नता पूरे देश को होनी चाहिये परन्तु तुलना नहीं करनी चाहिये। हाँ इस बात के लिए प्रसन्न हो जाना चाहिये कि यदि आज एक राज्य में हुआ तो कल दूसरे राज्य के लिए एक उदाहरण तो बन सकता है परन्तु दूसरे राज्य भी उसे स्वीकारें यह आवश्यक नहीं है वही दूसरी तरफ यदि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पक्ष में कुछ भी आदेश जारी कर दिया जाता है तो उसका लाभ पूरा देश उठाता। उस आनन्द की बात कुछ और होती परन्तु यह घटना क्यों घटी और कैसे घटी इस पर चर्चा न करके हमें कार्य पर ध्यान देना चाहिये और इस बात को लेकर प्रसन्न होना चाहिये कि यदि राजस्थान सरकार ने वास्तव में कुछ कर दिया है तो समाज में इस बात का सन्देश तो जा ही सकता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक स्थापित चिकित्सा पद्धति है और इस विधा के चिकित्सक भी योग्य चिकित्सक की श्रेणी में आते है। जबतक गजट का यह अंक आपके हाथ में होगा तब तक स्थिति स्पष्ट हो चुकी होगी परन्तु इस सत्य को हम सबको स्वीकार करना ही होगा कि आज भी काम करना है और मान्यता मिलने के बाद भी कार्य करना होगा। मान्यता मिल जाने से कार्य न करना पड़े ऐसा तो सम्भव नहीं है क्योंकि कार्य ही परिणाम को देता है क्या आपने कभी विचार किया है कि जिन चिकित्सा पद्धतियों को मान्यता प्राप्त है उनके चिकित्सक पूरे मनोयोग से कार्य नहीं करते है मान्यता मात्र इस बात की गारन्टी होती है कि आपको भी वह शासकीय सुविधायें प्राप्त हो सकती है जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सकों को प्राप्त है। अस्तु मान्यता का आनन्द एक दिन या दो दिन एक पक्ष या दो पक्ष तक रहता है परन्तु प्रैक्टिस का आनन्द चिकित्सक सम्पूर्ण जीवन उठाता है इसलिए हमें उस आनन्द का चयन करना होगा जो ताउम्र हमें आनन्दित कर सके, यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मान्यता की राह खुल गयी है तो यह आगे बढ़ती ही जायेगी आज एक प्रदेश कल दूसरा प्रदेश यह एक ऐसा सिलसिला है जो चलता ही रहेगा। हम सब सामान्य चिकित्सक है हमें इन सब चीजों का का आनन्द लेते हुए अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिये। जो व्यक्ति संस्थायें या समूह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के वास्तविक हित साधक है यह उनका दायित्व बनता है कि समाज में ऐसी सकारात्मक सोच को जन्म दें जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का वास्तविक विकास हो सके।

कारण पर्यावरण वातावरण निरन्तर परिवर्तित हो रहा है फलस्वरूप नित नई बीमारियों का प्रादुर्भाव हो रहा है इन बीमारियों से लड़कर हम स्वयं में और पद्धति में निखार ला सकते है।

अस्तु किन्तु परन्तु की भावना से ऊपर उठकर कर्म को प्रमुखता दें और जीवन के यथार्थ को स्वीकारें, किसी महापुरूष ने कहा है कि बारिस में नहाना किसे नहीं अच्छा लगता परन्तु बारिस की बूंदो की हमें प्रतीक्षा करनी होती है परन्तु कूप के जल से जब चाहे तब स्थान कर सकते है इसका तात्पर्य यह है कि मान्यता जैसी घटनाओं का आनन्द कुछ क्षणों का होता है परन्तु जो सुख रोगी का रोग ठीक करके मिलता है उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है।

कभी – कभी तो यह स्वाद इतना अच्छा होता है कि चिकित्सक बखान भी नहीं कर पाता है। किसी भी चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता उसकी गुणवत्ता पर होती है हमारा उद्देश्य मात्र मान्यता पाना ही नहीं होना चाहिये अपितु हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि हम गम्भीर से गम्भीर और असाध्य से असाध्य बीमारी पर अपनी स्वीकारिता दिखा सके है हमारा लक्ष्य दूरगामी होना चाहिये निकटवर्ती काम तो प्रायः सम्पन्न हो ही जाते है।

भारत सरकार ने बार – बार हमें कार्य करने के अधिकार दिये है और अपने पत्रों के माध्यम से मान्यता देने की बात से भी विलग नहीं हो रही है परन्तु राजस्थान जैसी घटनायें चलती हुई गति में रोड़ा लगा सकती है, गति नहीं प्रदान कर सकती है अब यह निर्णय आपको लेना है कि आप गति का साथ देंगे या अवरोध का।